CIN:U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

रजि.कार्यालय विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com

क्रमांक जेपीडी/प्र.नि./फ्यान /2015/प्रे. 1613 जयपुर, दिनांक : 16/06/2015

फीडर सुधार कार्यक्रम (F.I.P.) की क्रियान्विति हेतु दिशा–निर्देश

राज्य में व्यवधान रहित, उच्च गुणवत्ता पूर्ण व सुरक्षित विद्युत आपूर्ति हेतु फीडर सुधार कार्यक्रम (F.I.P.)माह मार्च 2014 में आरम्भ किया गया था।उपरोक्त कार्यक्रम में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश समय समय पर निगम के विभिन्न कार्यालयों द्वारा जारी किये गये हैं।फीडर सुधारकार्यक्रम (F.I.P.) के तहत प्रमुख कार्यों यथा ढीले तारो को कसना, लम्बे स्पानों के मध्य अतिरिक्त पोल लगाना, टेढें पोलों को सीधा करना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों की ऊँचाई बढाना, ट्रांसफार्मरों कि अर्थिंग करना, सिंगल फेज व थ्री फेज ट्रांसफार्मर के पुर्नसंधारण आदि कार्यकिये जा रहे हैं। उक्त कार्यक्रम की प्रगति आशानुरूप नहीं है और किये गये कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण भी पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है।

अतः फीडर सुधार कार्यक्रम के तीन महत्वपूर्ण कार्य यथा ढीले तारों को कसना, लम्बे स्पानों के मध्य अतिरिक्त पोललगाना एवं टेढें पोलों को सीधा करनाजो कि आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है,को प्राथमिकता पर व्यवस्थितक्रियान्वयन किये जाने हेतु पुनः निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं:–

1. फीडर सुधार कार्यक्रम के व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय के पत्र संख्या 92 दिनांक 27.06.2014 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में फीडरवार किये जाने वाले कार्यों की सर्वे रिपोर्ट मय सिंगल लाईन डाईग्राम तैयार करने के बाद इन्हें जी शेडयूल एवं कार्यादेश के साथ जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही सर्वे रिपोर्ट में दर्शाये गये प्रस्तावित कार्यों का विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा नमुना जांच भी किया जाना था एवं आवश्यक प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित किये जाने थे।उक्त संदर्भ में लेख है कि सुधार कार्यों की अभी तक की प्रगति संतोषजनक नहीं है एवं कार्य किये जाने के बावजूद भी फीडरों की स्थिति में चाहा गया सुधार नहीं हो पाया है। अतः यह आदेशित किया जाता है कि पूर्व में जारी दिनांक 27.06.2014 के आदेश के अनुसार जहां सर्वे नहीं किया गया है, उन फीडरों का सर्वे कार्य अविलम्ब करावें। पूर्व के सर्वे के बाद भी यदि कोई कमी कार्य के दौरान नई ज्ञात होती है तो संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की अनुशंषा पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत करवाकर कार्य किया जावें। संशोधित सर्वे का कार्य दिनांक 30.06.2015 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जावें एवं पूर्व में जारी कार्योदेशों के अन्तर्गत निहित मात्रा में कार्यों को पूरा करते हुये यदि संशोधित सर्वे में अतिरिक्त कार्य पाये जाने पर वह कार्य भी तदानुरूप कार्यादेश में सम्मिलित कर पूर्ण कराये जावें।

F:\FIP Order

2. चिन्हित फीडर के सुधार हेतु उस फीडर की निम्न गतिविधियों के लिये किये गये सर्वे रिर्पोट के अनुसार आवश्यक मरम्मत का सामान जैसे पोल, ब्रेकिट, पिन इन्सूलेटर, डीस्क इन्सूलेटर, तार, नट–बोल्ट, स्टे वायर, स्टे सैट, स्टे इंसूलेटर, अर्थिंग रॉड, अर्थिंग वायर इत्यादि सम्पूर्ण सामान एक साथ व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण सामान की व्यवस्था कर ही सीएलआरसी कांट्रेक्टर्स से इन्डेन्ट लेकर सम्पूर्ण सामान एक बार में उपलब्ध करावें।
3. सीएलआरसी कांट्रेक्टर्स सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता या उक्त अधिकारियों द्वारा नियुक्त सीसीए की देखरेख में सम्पूर्ण कार्य सम्पादित करें एवं समय पर विद्युत लाईनें चालू करावें। सीएलआरसी कांट्रेक्टर्स को यह भी निर्देश दिये जावें कि जिस फीडर का सिस्टम सुधार किया जा रहा है, उसमें स्थापित पोलों के मध्य पोल लगाना, टेढे पोलों को सीधा करना, ढीले तारों को कसना, स्थापित विद्युत लाईन के आसपास खडे पेडों की टहनी काटना, स्थापित ट्रांसफार्मर के जम्पर जांच कर कनेक्शन सही करना, कट पोईंट पर जम्पर जांच कर उन्हें सही करना, स्टे लगाना, खराब इन्सूलेटर बदलना, खराब डिस्क बदलना इत्यादि सभी कार्य एक साथ करने होगें।
4. जिस फीडर के लिये सामान उपलब्ध कराया गया है उसी फीडर पर उपरोक्त सामान लगाया जाना सुनिश्चित करें। कार्य पूर्ण होने पर बचे हुये सामान को वापस सहायक अभियन्ता स्टोर में जमा करवाया जावें। कांट्रेक्टर्स कार्यादेश के अनुसार ही सामान का उपयोग करें। किसी अन्य कार्य पर सामान न लगावे, जिस कार्य के लिए सामान इश्यू किया गया है, उसी कार्यादेश हेतु उपयोग में लेवें।
5. यदि किसी कारण से कार्य करने में कोई व्यवधान आता है तो कांट्रेक्टर व सहायक अभियन्ता उक्त व्यवधान का प्राथमिकता से निदान कर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
6. जैसा की पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है, फीडर सुधार के कार्य 33 केवी सबस्टेशनवार किये जाने को प्राथमिकता देवें। सर्वे में पाये जाने वाले ऐसे कार्य जो कि मानवीय सुरक्षा की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है, उन्हें प्राथमिकता पर माह जुलाई, 2015 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जावें। फीडरों की भूतल से निर्धारित ऊचाँई एवं भवनों से दूरी इंगित करते हुये निदेशक (तकनीकी) द्वारा पत्र संख्या 302 दिनांक 13.06.2015 जारी किया है जिसकी पालना सुनिश्चित कर फीडरों के सुरक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील स्थानों को आवश्यक सुधार कार्य कर शीघ्रातिशीघ्र दुरूस्त किया जावें।
7. पुनः निर्देशित किया जाता है कि किये गये/कराये जाने वाले कार्यों का कनिष्ठ/सहायक/अधिशाषी/अधीक्षण अभियन्ता समय समय पर निरीक्षण करेंगे। किये गये कार्यों की गुणवत्ता के लिये संबंधित सहायक/अधिशाषी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अधीक्षण अभियन्ता किये गये कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट संभागीय मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेंगे एवं कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कांट्रेक्टर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिम्मेदार होंगे। संभागीय मुख्य अभियन्ता किये गये कार्यों की प्रगति अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) को साप्ताहिक सूचित करेंगे।
8. संभागीय मुख्य अभियन्ता व निगम द्वारा घटित गुणवत्ता जांच कमेठी द्वारा एफआईपी की भौतिक जांच में यदि यह पाया गया कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है या कार्य प्रगति के अनुरूप नहीं है तो संबंधित मामलों को गंभीरता से लिया जाकर अधिकारी/कांट्रेक्टर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी।

9. उक्त कार्यक्रम के लिये संभागीय मुख्य अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियन्ता (पदार्थ एवं प्रबन्ध) के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को सुचारू रूप से तय समय सीमा में संपादित करवाने हेतु लाईन मैटेरीयल की समय पर व्यवस्था करवायेगें।
10. किये गये कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए निगरानी/निरीक्षण हेतु समय समय पर निगम द्वारा विभिन्न आदेश प्रसारित किये गये है। अध्यक्ष डिस्कॉम्स द्वारा पत्र संख्या 189 दिनांक 01.12.2014, प्रबन्ध निदेशक द्वारा पत्र संख्या 232 दिनांक 27.01.2015, निदेशक (तकनीकी) द्वारा पत्र संख्या 230 दिनांक 01.05.2015 जारी कर गुणवत्ता जांच हेतु टीमें गठित करने हेतु निर्देशित किया हुआ है। संभागीय मुख्य अभियन्ता उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रगति को अधीक्षण अभियन्ता (प्लान) को सूचित करेंगे ताकि कम प्रगति की स्थिति में निदेशक (तकनीकी) व प्रबन्ध निदेशक को अवगत करायेगें।
11. अधीक्षण अभियन्ता (पवस) कराये जा रहे कार्यों की सूचना/प्रगति से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करायेंगे।

सभी वृत/खण्ड अधिकारी उक्त सभी गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए फीडरों का कार्य एक साथ कराते हुये ये सुनिश्चित करें कि जिन फीडरों पर वर्तमान में प्रगति 50 प्रतिशत से कम हो, वहां पर माह जुलाई, 2015 तक कम से कम पर 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जावें एवं माह सितम्बर, 2015 तक इन फीडरों का शत प्रतिशत कार्य हो जावें। साथ ही जिन फीडरों पर वर्तमान में प्रगति 50 प्रतिशत से अधिक हो, उनका कार्य माह जुलाई, 2015 तक शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें।

(अनुराग भारद्वाज)
प्रबन्ध निदेशक,
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर।
2. निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम./एमएम), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), जयपुर/कोटा/भरतपुर जोन, जयपुर डिस्कॉम।
5. अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य/टी.डब्ल्यू./एम.आई.एस./पवस), अलवर/भरतपुर/दौसा/धौलपुर/झालावाड/कोटा/करौली/बारां/सवाईमाधोपुर/टोंक/जयपुर जिला वृत/जयपुर नगर वृत, जयपुर डिस्कॉम।
6. तकनीकी सहायक प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम
7. समस्त प्रभारी/उपप्रभारी अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम
8. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जयपुर डिस्कॉम को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

16/6/15
मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम.),
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

F:\FIP Order